COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

12

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

[illegible]/1060-I/2007 पी०ए० रिव्यू

Reg 1060-I/07

श्री रामसेवक शर्मा एड० द्वारा आज दि० 23-6-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव 23

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

[illegible] निवासी ग्राम देवी टोरी [illegible] तहसील सिरोंज जिला विदिशा म०प्र० — — आवेदक

बनाम

1. भागचन्द्र पुत्र गरीब दास आयु-42 साल, निवासी ग्राम देवीटोरी तहसील सिरोंज जिला विदिशा म०प्र०

2. म०प्र० शासन — — अनावेदकगण

रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.5.07 द्वारा पारित न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० 669-चार/05 [illegible] सोनू विरुद्ध भागचन्द के निर्णय से दुखी होकर

==

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से रिव्यू निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

(1) यह कि, ग्राम देवीटोरी पटवारी हल्का नं.7 के कोटवार नंदा की मृत्यु हो जाने से रिक्त कोटवार पद पर तहसीलदार सिरोंज द्वारा दिनांक 15.10.03 को इश्तहार जारी किया गया था आवेदन न आने से दिनांक 21.10.03 को जारी किया गया। जिसमें आवेदक एवं अनावेदक के आवेदनपत्र कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। [illegible]

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-1060-एक/07 जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.9.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह रिव्यु इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 669-चार/05 में पारित आदेश दिनांक 16.05.07 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 34/2004-05/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.05.056 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक 669-चार/05 पेश की गई है। उक्त निगरानी प्रकरण में दिनांक 02.04.07 को बहस सुनी गई। बहस सुने जाने के उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 05.04.07 को उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने हेतु आवेदन दिया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर विचार किए बिना निगरानी प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 16.05.07 को पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 3017/2007 पेश की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.07.07 को पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पी-4 का निराकरण करने का आदेश दिया गया। आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह रिव्यु प्रकरण क्रमांक 1060-एक/07 भी पेश किया जिसे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25.11.07 द्वारा निरस्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने पुन: माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 8274/2011 पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.02.2012 को आदेश पारित करते हुए पुन: मण्डल का आदेश दिनांक 25.11.07 निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 18.07.07 के अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश के	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

परिप्रेक्ष्य में यह रिव्यु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिखित रूप से दिए गए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो बार राजस्व मण्डल के आदेशों को निरस्त किया गया है जिसके द्वारा अनावेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई थी। अब केवल आवेदक ही शेष कोटवार हेतु बचता है अन्य कोई आवेदन-पत्र व पक्षकार कोटवार नियुक्ति हेतु प्रकरण में मौजूद नहीं है। इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार नियम- 4 का पूर्णत: पालन किया गया है जिसके अनुसार कोटवार नियुक्ति के लिए कार्यवाहियों में दो उम्मीदवार उनमें से एक उसी गांव का निवासी नहीं तो गांव के निवासी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना चाहिए इस संबंध में आर.एन. 84 पेश 405 बिशोहा विरुद्ध पुनाराम अवलोकनीय है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 1985 आर0एन0 36 में यह मत व्यक्त किया गया है कि कोटवार उम्मीदवार शिक्षित एवं साहसिक व आज्ञापालक होना चाहिए इन दोनों ही न्यायदृष्टांत के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से सोनू कक्षा 8 पढ़ा-लिखा है, जवान है व कार्य करने के लिए सक्षम है तथा ग्राम देवीटोरी का निवासी है जबकि भागचन्द अन्य गांव का निवासी है तथा पढ़ा-लिखा न होकर वृद्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिरोंज द्वारा सोनू शर्मा की कोटवार पद पर नियुक्ति करके उचित प्रक्रिया अपनायी गई है जो स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार सिरोंज द्वारा प्रथम इश्तिहार दिनांक 15.10.2003 को जारी किया गया। अंतिम तिथि दिनांक 21.10.2003 की अवधि में अनावेदक का आवेदन प्राप्त हुआ। दोबार इश्तिहार दिनांक 21.10.2003 को जारी किया गया और दूसरी बार आवेदक का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक को कोटवार बनाया गया, जिसमें एक पक्ष को देखते हुए आदेश पारित किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि :-

(क) अनावेदक अनुसूचित जाति का है जबकि पुनर्विलोकनकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

7

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-1060-एक/07 जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पंडित है।

(ख) अनावेदक पूर्व मृतक कोटवार नंदा के निकट संबंधी को अग्रिम मान्यता नहीं दी गई।

(ग) अनावेदक का ग्राम वोटर लिस्ट में नाम अंकित है, ग्राम देवीटोरी का रहने वाला है, उसके पास राशन कार्ड है तथा मकान भी है। इसके अनुसार तहसीलदार सिरोंज द्वारा विधि अनुसार वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। कोटवार नियम राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ-2-20-7-शा-8-95 दिनांक 17 मार्च, 1997, राजस्व विभाग राजपत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1999 में संशोधन पी-81 द्वारा प्रकाशित है। उनके संदर्भ में प्रकरण देखना चाहिए था ना कि पुराने न्यायदृष्टांत को आधार बनाकर आदेश पारित करना चाहिए था, विचारण न्यायालय में संलग्न कागजात अनावेदक पूर्व चौकीदार का भानेंज है, थाना प्रभारी, थाना सिरोंज के प्रतिवेदन अनुसार उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। ग्राम देवीटोरी में वर्षों से निवास कर रहा है, ग्राम पंचायत देवीटोरी का प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक 25.02.2004 उनके पक्ष में है। पूर्व चौकीदार नन्दराम की नियुक्ति के पश्चात् चौकीदारी करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में सोनू शर्मा की नियुक्ति नियम के विपरीत है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर विचार न करते हुए किया गया आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इस कारण राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक निगरानी 669-चार/05 में पारित आदेश दिनांक 16.05.07 स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 669-चार/05 में दिनांक 02.04.07 को उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर प्रकरण आदेशार्थ

3

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ता आदि के हस्ताक्षर
	रखा गया था। इसके उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 05.04.07 को प्रकरण को अन्य पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंतरित करने हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया गया, परंतु उक्त आवेदन का निराकरण किए बिना दिनांक 16.05.07 को अंतिम आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्र. 3017/2007 भी पेश की गई। इस याचिका का निराकरण 18.07.07 को करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष राजस्व मण्डल को रिव्यु प्रकरण का निराकरण स्वयं करने अथवा अन्य बेंच गठित कर निराकरण विधि अनुसार करने के निर्देश दिए। इस आदेश के उपरांत तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा रिव्यु प्रकरण में अध्यक्ष की हैसयत से दिनांक 25.11.11 को संहिता की धारा 9 से नियत 7 के अनुसार प्रकरण का स्वयं निराकरण करते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्र. 8274/2011 पेश की गई, जिसमें माननीय उच्च् न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2012 को आदेश पारित करते हुए राजस्व् मण्डल द्वारा पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 25.11.11 निरस्त किया जाकर अध्यक्ष राजस्व मंडल को रिव्यु एप्लीकेशन का निराकरण अपने पूर्व आदेश दिनांक 18.07.07 के परिप्रेक्ष्य में किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार के उपरांत तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16.05.07 निरस्त किया जाता है एवं उक्त निगरानी प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उभयपक्ष सूचित हों। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	